संख्या-437/आई/192384/2022/001-169 budget 2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 20 जुलाई, 2022

विषय- **जनपद कुशीनगर में विकास खण्ड पडरौना के ग्राम कोहरवलिया पोस्ट कुबेरनाथ में स्थित जालपा माई स्थल के सौन्दर्यीकरण एवं पयर्टन विकास कार्य हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश सं0- 366/2022/आई/181158/2022/001-169 बजट/2021 दिनांक 22 जून 2022 का निरस्तीकरण।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2596/6-1-1(1296)/2021-22 दिनांक 11-7--2022 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके माध्यम से जनपद कुशीनगर में विकास खण्ड पडरौना के ग्राम कोहरवलिया पोस्ट कुबेरनाथ में स्थित जालपा माई स्थल के सौन्दर्यीकरण एवं पयर्टन विकास कार्य हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश सं0- 366/2022/आई/181158/2022/001-169 बजट/2021 दिनांक 22 जून 2022 का निरस्तीकरण करने का अनुरोध किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद कुशीनगर में विकास खण्ड पडरौना के ग्राम कोहरवलिया पोस्ट कुबेरनाथ में स्थित जालपा माई स्थल के सौन्दर्यीकरण एवं पयर्टन विकास कार्य हेतु** नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0पीसी0एल0 के पक्ष में रू0 50.10 लाख+ जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर अनुमन्य) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 10.00 लाख मात्र की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0- 539/2022/आई/108011/41-1002(001)/60/2021 -169(बजट)/2021 दिनांक 20-10-2021 द्वारा निर्गत् की गई थी। तदनन्तर शासनादेश सं0-190/2022/आई/151297/41-1002(001)/60/2021 -169(बजट)/2021 दिनांक 30-03-2022 द्वारा प्रायोजना की द्वितीय किश्त के रूप में रू0-40.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। इस प्रकार प्रायोजना हेतु 02 किश्तों में कुल धनराशि रू0-50.00 की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। तदनन्तर शासनादेश सं0- 366/2022/आई/181158/2022/001-169 बजट/2021 दिनांक 22 जून 2022 द्वारा **त्रुटिवश** प्रायोजा की द्वितीय किश्त के रूप में रू0-35.00 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गई, जिसे निरस्त करने का प्रस्ताव महानिदेशक पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अपने पत्र दिनांक 11-07-2022 द्वारा किया गया है।

3- **अत: उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना की द्वितीय किश्त के रूप में रू0-35.00 लाख (रू0- पैंतीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति से संबंधित शासनादेश सं0- 366/2022 /आई/181158/2022/001-169 बजट/2021 दिनांक 22 जून 2022 को एतदद्वारा श्री राज्यपाल इस अभ्युक्ति सहित निरस्त करने का आदेश प्रदान करते हैं कि इस परियोजना हेतु संदर्भगत शासनादेश द्वारा निर्गत् की गई**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वित्तीय स्वीकृति उपरोक्त क्रम में शून्य समझी जायेगी । इस प्रायोजना हेतु पूर्व में शासनादेश सं0-190/ 2022/आई/151297/41-1002(001)/60/2021 -169(बजट)/2021 दिनांक 30-03-2022 द्वारा अवमुक्त की गई द्वितीय किश्त की धनराशि रू0-40.00 लाख के सापेक्ष निदेशालय द्वारा कार्यदायी संस्था से उपयोगिता प्रमाण पत्र/ प्रायोजना हेतु निविदा की प्रक्रिया के उपरान्त अनुमन्य की गई निविदा लागत तथा उक्त् निविदा लागत के सापेक्ष मदवार लागत का विवरण/ कार्य आरम्भ करने के पूर्व परियोजना स्थल के फोटोग्राफ्स आदि अभिलेख एक सप्ताह के अंदर प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में प्रायोजना की वास्तविक लागत से अधिक की धनराशि का आहरण/भुगतान न हो।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी कुशीनगर ।
4- प्रबंध निदेशक यू0पी0पी0सी0एल0 लखनऊ।
5- निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
7- श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
10- परियोजना प्रबंधक यू0पी0पी0सी0एल0 गोरखपुर ।
11- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी गोरखपुर।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।